फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

श्री भतरा — बनाम — विपक्षी श्री सुरेश व अन्य

मुकदमा – धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — पत्रावली संख्या 87/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक 06.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 मय प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अब अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया। प्रतिवादी संख्या 5 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के विरूद्ध पूर्व मे एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। प्रकरण मे अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस मे वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया तथा वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार वादग्रस्त आराजीयात मे वादी खातेदार है। वादग्रस्त आराजीयात मे वादी खातेदार होकर आधिपत्यधारी है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजीयात मे किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार नहीं है। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात को जबरन हडपना चाहते है व वादी को बेदखल करने का प्रयास करते है जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नही किया गया तथा अनुपस्थित रहे।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। हमने पाया कि वादग्रस्त भूमि मे वादी खातेदार है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं है। वादी द्वारा कथन कहा की प्रतिवादीगण वादी को जबरन बेदखल करने पर उतारू है। वादग्रस्त भूमि में वादी खातेदार है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी खातेदार होने से वादी का हित निहीत हैं जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना उचित प्रतित होता है तथा वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा मनोहरपुरा पटवार हल्का बग्गड भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की खाता संख्या नया 19 की आराजी न. 99 किता 1 रकबा 0.1200 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादी को बेदखल नहीं करें तथा वादी के उपयोग–उपभोग, कृषि कार्य में बाधा पैदा नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।